न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 59/23

1–रेखा मीना पुत्री स्व0 मोहनलाल मीना पौत्री गिर्राज

2–कृपा पत्नी स्व0 मोहनलाल पुत्रवधु गिर्राज जातियान मीणा निवासियान गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा राज0 हाल निवासी मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

1–गिर्राज पुत्र मांग्या जाति मीणा निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा राज0
2–उप पंजियक महोदय, मण्डावर जिला दौसा।
3–फतेहसिंह पुत्र मांग्या
4–हुकम पुत्र मांग्या जातियान मीणा निवासीयान गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा राज0
5–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मण्डावर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:–03.09.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा के विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 178 के आराजी खसरा नम्बर 1049/114 रकबा 0.25, 1051/123 रकबा 0.15, 1057/113 रकबा 0.13, 1059/8 रकबा 0.16, 1062/3 रकबा 0.01, 1063/6 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 6 रकबा 0.85 हैक्टयर एवं खाता सं0 155 के आराजी खसरा नम्बर 1050/114 रकबा 0.01, 1054/123 रकबा 0.02, 106 रकबा 0.09, 106/1056 रकबा 0.09, 7 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 5 रकबा 0.23 हैक्टयर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1, 3, 4 का हिस्सा निहित है तथा हिस्सेनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी सं. 01 का दादा असल अप्रार्थी सं. 1 गिर्राज है जो जीवित है तथा प्रार्थी सं. 2 का ससुर है। प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 के पति मोहनलाल जिनका स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्ग की दादालाई पुश्तैनी आराजी है। अप्रार्थी सं. 1 जो मानसिक रूप से पीडित है तथा शराबी किस्म का है जो अन्य दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर बेचान करने की फिराक में है। प्रार्थीगण को पुश्तैनी आराजी में से कोई हिस्सा देना नहीं चाहते है जबकि दादालाई सम्पत्ति में पौत्र व पौत्रियों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। दिनांक 29.9.2023 को एलानिया धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर असल अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

रेखा बनाम गिर्राज
मुकदमा नं. 59/23

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। नकल दी गई। अप्रार्थी सं. 2 लगा 5 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से की गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 01 ने जवाब में जाहिर किया कि उक्त आराजी भूमि अप्रार्थी गिर्राज की कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि है। गिर्राज खातेदार काश्तकारी व कब्जाधारी है। पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 है जो कभी भी ले सकती है। विवादित आराजी का खातेदार जवाबदाता अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा में से अप्रार्थी सं. 1 की 6 पुत्रियां उर्मिला, रमेशी, मुकेशी, कपिता, सुविता, सुनिता प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है जो कि विवाहित पुत्रियां है। जवाबदाता की पत्नी दाखा देवी भी जीवित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का 1/3 में से 1/8 हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थीगण 1/3 हिस्से में से 1/8 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। यदि 1/8 हिस्सा प्रार्थीगण को दिया जावे तो जवाबदाता अप्रार्थी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं है व बंटवारा कर दिया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया:–

1–प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2074–2077 ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा की उक्त विवादित आराजी खाता सं. 178 में अप्रार्थी सं. 1 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता सं. 155 में 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 गिर्राज प्रार्थी सं. 01 का दादा व प्रार्थी सं. 2 का ससुर है। प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 के पति मोहनलाल जिसका स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के बुजुर्ग की दादालाई पुश्तैनी आराजी है। इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 व 2 को अपने अधिकारों सं वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी सं. 01 व 02 के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सिद्ध करने में सफल रहे है।

2–सुविधा का संतुलनः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2074–2077 ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा की उक्त विवादित आराजी खाता सं. 178 में अप्रार्थी सं. 1 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता सं. 155 में 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 गिर्राज प्रार्थी सं. 01 का दादा व प्रार्थी सं. 2 का ससुर है। प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 के पति मोहनलाल जिसका स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के बुजुर्ग की दादालाई पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

आवश्यक है। अगर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तो प्रार्थीगण के लिये असुविधाजनक होगा। अतः असुविधा भी अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थीगण को ही होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होगा।

3–अपूरणीय क्षति– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी सं 1 व 2 में निहित है। इसलिये अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी सं. 1 व 2 को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आज्ञा है कि: प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर ताफैसला स्थगन आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.9.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner